दीवानी वाद संख्या–91/2023

दिनांकः–21.05.2026

वादी के विद्वान अधिवक्ता–श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव।

प्रतिवादी सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता–श्री पीयूष पन्त।

प्रतिवादी सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता–श्री एम0पी0 तिवारी।

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त अभिवचन/ निस्तारण अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या 6ग/वाद बिन्दु विरचन नियत है।

2. वादी की ओर से कोई अतिरिक्त अभिवचन प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही अतिरिक्त अभिवचन प्रस्तुत करने के लिए समय याचित किया। उक्त परिस्थिति में वादी को अतिरिक्त अभिवचन प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया जाता है।

3. अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 6ग पर उभय पक्षकारों को सुना गया। दौराने मौखिक बहस उभय पक्षकारों द्वारा इस आशय का अभिकथन किया गया है कि इस मामले में पक्षकारों के मध्य माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई व्यादेश का अनुतोष पारित किया गया है।

4. उभयपक्षों के तर्कों के आलोक में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा SPA No. 21/2026 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2026 की सत्यापित प्रति प्रपत्र संख्या 77ग/1 लगायत 77ग/8 पत्रावली पर संलग्न है, जिसके ससम्मान् अवलोकन से विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के पैरा संख्या–13, 14 एवं 15 में यह आदेशित किया गया है कि–

"13. Learned counsel for the appellant, on instructions from Sri Nilesh Kumar Singh, who is the power of attorney holder, would submit that the appellant and one of the purchaser Sri Tushar Agarwal, would undertake not to alter the nature of the suit property, or alienate it till the disposal of the suit pending in thfile of O.C.S. No.79 of 2023, O.C.S. No.80 of 2023, O.C.S. No.81 of 2023, O.C.S. No.84 of 2023, O.C.S. No.85 of 2023, O.C.S. No.86 of 2023, O.C.S. No.87 of 2023, O.C.S. No.88 of 2023, **O.C.S. No.91 of 2023,** O.C.S. No.92 of 2023, O.C.S. No.93 of 2023, O.C.S. No.94 of 2023, O.C.S. No.95 of 2023, O.C.S. No.96 of 2023, O.C.S. No.97 of 2023, O.C.S. No.98 of 2023, Misc. Civil No.24 of 2023, Misc. Civil No.25 of 2023 and O.C.S. No.81 of 2024.

14. The interim protection, sought for by the respondents, appears to be equitable as a serious dispute, with regard to the title over the land, being subsisting, it would be inequitable to either to allow the parties to deal with the

subject matter of the suits in a manner, which would be detrimental to the other party.

15. In that view, the appellant and all those claiming rights through her, are hereby injuncted from alienating that portions of the suit schedule property, which is a subject matter of the suits detailed above. This order of the interim protection regarding injunction shall continue till the final disposal of the suit by the learned trial court."

5. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अवलोकन से विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस वाद के अंतिम निस्तारण तक पक्षकारों एवं विवादित सम्पत्ति पर अपने हित का दावा करने वाले व्यक्तियों को विवादित सम्पत्ति का अन्यथा अंतरण करने एवं तृतीय पक्षकार का हित सृजित करने से निषेधित किया गया है।

6. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में वादी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या 6ग निस्तारित किया जाता है। तद्नुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उभय पक्षकारों को आदेशित किया जाता है कि दौराने वाद विवादित सम्पत्ति पर यथास्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उभय पक्षकारों द्वारा अपने अभिवचन पूर्ण किये जा चुके हैं। आज पक्षकार व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं। उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण से धारा–89 सिविल प्रक्रिया संहिता के आलोक में वाद के निपटारे हेतु पूछा गया। उभय पक्षकारों की ओर से समझौते से इन्कार करते हुए न्यायालय के माध्यम से वाद के निस्तारण हेतु प्रार्थना की गयी।

8. उभय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिवचन स्पष्ट हैं, अतः आदेश 10 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पक्षकारों में परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

9. उभय पक्षकारों के परस्पर विरोधी अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किए जाते हैं :–

1. क्या वादी विवादित भूमि का विधिक अधिकारी एवं काबिज है ?

2. क्या वाद संख्या 30/330 वर्ष 2022–23 अन्तर्गत धारा–34 एल0आर0 एक्ट में पारित नामांतरण आदेश दिनांक 06.02.2023 वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर शून्य हैं ?

3. क्या प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.03.2023 वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने योग्य है ?

4. क्या वादी को वाद कारण प्राप्त है ?

5. क्या न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ?

6. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?

7. क्या वादी द्वारा पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है ?

8. क्या वादी का वाद धारा 49 जोत चकबंदी अधिनियम से बाधित है ?

9. क्या वाद धारा–10 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से बाधित है ?

10. अनुतोष ?

अन्य कोई विवाद्यक पक्षकारों के अभिवचनानुसार सृजित होना प्रतीत नहीं होता है और न ही पक्षकारान द्वारा किसी अन्य विवाद्यक पर बल दिया गया।

10. उभयपक्ष एक–दूसरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर स्वीकृति/अस्वीकृति का पृष्ठांकन करें। मुंसरिम/रीडर लोक दस्तावेज यदि कोई हो व स्वीकृत दस्तावेजों पर नियमानुसार प्रदर्श अंकित करे। पक्षकार 07 दिन के अंदर गवाहों की सूची न्यायालय में प्रस्तुत करे।

11. वाद बिन्दु संख्या–5 लगायत 9 का निस्तारण प्रारम्भिक वाद बिन्दु के रूप में किया जायेगा।

12. पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रारम्भिक वाद बिन्दु संख्या–5 लगायत 9 दिनांक 14.07.2026 को पेश हो।

(इन्दु शर्मा)
द्वितीय अपर सिविल जज (सी0डि0)
उधम सिंह नगर।